

निर्वाचित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 88/2019

संजति वापसवान

बनाम्

वज्रबिकारी साहू

17-07-2019. चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 01/19 दिनांक 12-07-19 07-08-19.

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि पुत्रग वज्र 0 संजति वापसवान द्वितीय पक्ष 14-08-19

0 वज्रबिकारी साहू 22-08-19.

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग 30-08-19.

होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण 05-09-19

रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था ~~की~~ बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 ~~के तहत~~ कार्यवाही ~~07-09-19~~

आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07-09-19.

उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निवेद्य 11-09-19.

करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 29-07-19 तक दाखिल करें। 13-09-19.

~~16-09-19~~

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहद्दी
<u>पुत्रग वज्र</u>	-	100	11(b)	6.055 डि.	पूर्व - <u>सुजति वज्र</u> पश्चिमी - <u>वज्र</u> उत्तर - <u>विजय राठौर</u> दक्षिण - <u>हुज्ज साहू</u>

Amu
17/9/19
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।
16-07-19

05-09-19 अखिलेश उपलब्धित / द्वितीय पक्ष के सदस्य ① लज विहारी साहु उपलब्धित / प्रथम पक्ष के सदस्य ① संजीव जायसवाल उपलब्धित / पीठासीन पदाधिकारी, अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अखिलेश दिनांक 07-09-19 को उपलब्धित करें।

07-09-19 अखिलेश उपलब्धित / प्रथम पक्ष के और से अधिकारों द्वारा वकातान हाजरी की गई। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अखिलेश दिनांक 11-09-19 को उपलब्धित करें।

11-09-19 अखिलेश उपलब्धित / उच्च पक्ष के सदस्य अनुपस्थित / पुनः प्रा. द्वितीय पक्ष के और से अधिकारों द्वारा वकातान हाजरी की गई। प्रथम पक्ष के सदस्य ① संजीव जायसवाल उपलब्धित / द्वितीय पक्ष कारण मुख्य दायित्व (विशेष)
 सुनवाई हेतु, 13-9-19

Beem

13-09-19 अखिलेश उपलब्धित / प्रथम पक्ष के सदस्य ① के और से अधिकारों द्वारा वकातान हाजरी की गई। द्वितीय पक्ष के सदस्य ① लज विहारी साहु उपलब्धित / पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अखिलेश दिनांक 14-09-19 को उपलब्धित करें।

14-09-19 अखिलेश उपलब्धित / अखिलेश उच्च पक्ष के सदस्य अनुपस्थित / कात-वाहित होने के कारण काद की कार्यकें समाप्त की जाती हैं।

(6/01) 270

16/01/2020